रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890
लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०-41
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
संख्या —74

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, सोमवार, 20 अप्रैल, 1998

चैत्र 30, 1920 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 729/सत्रह–वि–1—2 (क)–5-1998

लखनऊ, 20 अप्रैल, 1998

अधिसूचना

विविध

संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1998 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 1998) प्रख्यापित किया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1998

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 1998)

[भारत गणराज्य के उन्चासवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1982 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अध्यादेश

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिसके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:–

संक्षिप्त नाम

1—यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1998 कहा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1982 के दीर्घ शीर्षक का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1982 के जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, दीर्घ शीर्षक में, शब्द "सेवा आयोग" के स्थान पर शब्द "सेवा चयन बोर्ड" रख दिये जायेंगे।

धारा 1 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 1 में उपधारा (1) में, शब्द "सेवा आयोग" के स्थान पर शब्द "सेवा चयन बोर्ड" रख दिये जायेंगे।

सामान्य संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 और 34 में शब्द "आयोग", जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर शब्द "बोर्ड" रख दिया जायगा।

धारा 2 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 2 में,—

(क) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे अर्थात्:–

(क) "बोर्ड" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से है;

(ख) "अध्यक्ष" का तात्पर्य बोर्ड के अध्यक्ष से है और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, तत्समय अध्यक्ष के कृत्यों का सम्पादन करने वाला कोई अन्य व्यक्ति भी है;

(ख) खण्ड (ग) निकाल दिया जायगा;

(ग) खण्ड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् :–

"(छ) 'सदस्य' का तात्पर्य बोर्ड के सदस्य से है और इसके अन्तर्गत बोर्ड का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी है;"

(घ) खण्ड (ट) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :–

"(ट–1) 'उपाध्यक्ष' का तात्पर्य बोर्ड के उपाध्यक्ष से है; "

अध्याय दो और धारा 3 से 11 का बदलाया जाना

6—मूल अधिनियम का अध्याय दो जिसमें धारा 3 से 11 दी गई है, के स्थान पर निम्नलिखित अध्याय, जिसमें धारा 3 से 11 दी गई है, रख दिया जायगा, अर्थात् :–

"अध्याय–दो

बोर्ड की स्थापना और कृत्य

बोर्ड की स्थापना

3—(1) ऐसे दिनांक से जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे, एक बोर्ड स्थापित किया जायगा जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कहलायेगा।

(2) बोर्ड एक निगमित निकाय होगा। यह सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में शक्ति का प्रयोग करेगा और इसका मुख्यालय इलाहाबाद में होगा।

(3) इस अधिनियम की धारा 3 के, जैसी कि वह उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1998 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व थी, अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग, उपधारा (1) के अधीन बोर्ड के स्थापित हो जाने पर विघटित हो जायगा, और ऐसे विघटन पर,—

(क) उस आयोग की सभी सम्पतियां और परिसम्पत्तियां बोर्ड को अन्तरित और इसमें निहित हो जायेंगी;

(ख) उस आयोग के सभी ऋण, दायित्व और बाध्यता, चाहे किसी संविदा के अधीन हो या अन्यथा हो, बोर्ड को अन्तरित हो जायेंगे;

(ग) उस आयोग के प्रत्येक पूर्णकालिक कर्मचारी की सेवाएं बोर्ड को अन्तरित हो जायेंगी;

(घ) इस अधिनियम के जैसा कि वह उपधारा (1) के अधीन बोर्ड के स्थापित होने के ठीक पूर्व था, अधीन आयोग के समक्ष लम्बित कोई विषय बोर्ड को अन्तरित हो जायगा।

बोर्ड की संरचना

4—(1) बोर्ड में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और नौ सदस्य होंगे जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।

(2) कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं होगा, जब तक कि वह,—

(क) उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का कुलपति न हो या न रहा हो; या

(ख) राज्य सरकार की राय में, प्रशासनिक सेवा का ऐसा उत्कृष्ट अधिकारी, जो राज्य सरकार के सचिव या शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश से निम्न पंक्ति का न हो, या न रहा हो।

(3) कोई व्यक्ति उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं होगा जब तक कि वह, राज्य सरकार की राय में, ऐसा विख्यात शिक्षाविद् न हो जिसने शिक्षा के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान किया हो।

(4) सदस्यों में से,

(क) दो ऐसे व्यक्ति होंगे जो ऐसे शिक्षाविद् हों जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया हो;

(ख) दो ऐसे व्यक्ति होंगे जो, राज्य सरकार की राय में, राज्य शिक्षा सेवा के ऐसे उत्कृष्ट अधिकारी हों या रहे हों जो अपर निदेशक से निम्न पंक्ति के न हों;

(ग) अन्य ऐसे व्यक्ति होंगे जो,—

(एक) उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में आचार्य के रूप में या ऐसे विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त या उससे संबद्ध किसी महाविद्यालय में उपाचार्य के रूप में दस वर्ष से अनिम्न की अवधि के लिए कार्य किया हो;

(दो) इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन मान्यता प्राप्त किसी संस्था के प्राचार्य के रूप में, दस वर्ष से अनिम्न अवधि के लिए कार्य किया हो;

(तीन) राज्य सरकार की राय में, ऐसा विख्यात शिक्षाविद् हो जिसने शिक्षा के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान किया हो।

(5) इस धारा के अधीन प्रत्येक नियुक्ति उस दिनांक से प्रभावी होगी जिस दिनांक को उसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय।

सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें

5—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक सदस्य चार वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

(2) कोई व्यक्ति निरन्तर दो पदावधि से अधिक के लिए सदस्य नहीं होगा।

(3) कोई सदस्य राज्य सरकार को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है, किन्तु वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका त्याग पत्र राज्य सरकार द्वारा स्वीकार न कर लिया जाय।

(4) सदस्यों का पद पूर्णकालिक होगा और उनकी सेवा के निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी राज्य सरकार, आदेश द्वारा, निदेशित करे।

(5) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, यदि उसने बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, न तो सदस्य नियुक्त किया जायगा और न इस रूप में बना रहेगा।

सदस्यों को हटाने की राज्य सरकार की शक्ति

6— (1) राज्य सरकार, आदेश द्वारा, किसी सदस्य को पद से हटा सकती है, यदि वह–

(क) दिवालिया न्याय-निर्णीत किया जाय; या

(ख) अपनी पदावधि के दौरान, अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी वैतनिक सेवायोजन में कार्य करे; या

(ग) राज्य सरकार की राय में, मानसिक या शारीरिक दुर्बलता या सिद्ध कदाचार के कारण पद पर बने रहने के लिए अनुपयुक्त हो; या

(घ) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन किसी अनर्हता का भागी हो जाय।

स्पष्टीकरण–जहां कोई सदस्य किसी संस्था द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या करार से, किसी प्रकार से संबद्ध हो या उसमें हितबद्ध हो या उसके लाभ में या उससे प्राप्त होने वाले किसी फायदे या उपलब्धि में किसी प्रकार से सदस्य से भिन्न रूप में सम्मिलित हो, वहां उसे खण्ड (ग) के प्रयोजनार्थ कदाचार का दोषी समझा जायगा।

(2) इस धारा के अधीन कदाचार के अन्वेषण और उसे सिद्ध करने की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाय।

सहयुक्त करने की शक्ति

7—बोर्ड अपने साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए जो धारा 34 के अधीन बनाये गये विनियमों द्वारा अवधारित किये जांय, किसी ऐसे व्यक्ति को सहयुक्त कर सकता है जिसकी सहायता या सलाह वह इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए लेना चाहे।

बोर्ड का कर्मचारिवर्ग

8 (1) बोर्ड का सचिव राज्य सरकार द्वारा पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्त पर नियुक्त किया जायगा और उसकी सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी राज्य सरकार, आदेश द्वारा, अवधारित करे।

(2) ऐसे निर्देशों के अधीन रहते हुए जिन्हें राज्य सरकार इस निमित्त जारी करे, बोर्ड ऐसे अन्य कर्मचारियों को, जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने के लिए आवश्यक समझे, और सेवा के ऐसे निबन्धन और शर्तों पर जिन्हें बोर्ड उचित समझे, नियुक्त कर सकता है।

बोर्ड की शक्तियां और कर्तव्य

9—बोर्ड की निम्नलिखित शक्तियां और कर्तव्य होंगे, अर्थात् :–

(क) अध्यापकों की सीधी भर्ती की रीति से संबंधित विषयों पर मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार करना;

(ख) अध्यापकों के रूप में नियुक्ति के लिए जहां आवश्यक हो, परीक्षायें संचालित करना, साक्षात्कार करना और अभ्यर्थियों का चयन करना;

(ग) खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विशेषज्ञों का चयन करना और उन्हें आमंत्रित करना और परीक्षक नियुक्त करना;

(घ) चयन किये गये अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में सिफारिश करना;

(ङ) अध्यापकों की पदच्युति, हटाये जाने या पंक्तिच्युति से संबंधित विषयों में प्रबन्धतंत्र को सलाह देना;

(च) अध्यापक वर्ग की सदस्य संख्या और अध्यापकों की नियुक्ति, पदच्युति पद से हटाने, सेवा समाप्ति या पंक्तिच्युति के संबंध में नियतकालिक विवरणियां या अन्य सूचनायें संस्थाओं से प्राप्त करना;

(छ) विशेषज्ञों की उपलब्धियां और यात्रा भत्ते और अन्य भत्ते नियत करना;

(ज) बोर्ड में विहित निधि का प्रबन्ध करना;

(झ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना, जैसी विहित की जायं, या जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करने के लिए आनुषंगिक या सहायक हो।

सीधी भर्ती द्वारा किसी अध्यापक की नियुक्ति करने के प्रयोजन के लिए चयन की प्रक्रिया 10—(1) प्रबन्धतंत्र विद्यमान या भर्ती के वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियों की संख्या और संस्था के प्रधान के पद से भिन्न पद की स्थिति में, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और रिक्तियों को ऐसी रीति से और ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी के माध्यम से, जैसा विहित किया जाय, बोर्ड को अधिसूचित करेगा।

(2) अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाय;

परन्तु बोर्ड प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आमंत्रित करने की दृष्टि से उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित रिक्तियों का राज्य में व्यापक प्रचार करेगा।

अभ्यर्थियों का पैनल 11—(1) बोर्ड, धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन रिक्ति के अधिसूचित किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र जहां आवश्यक हो, परीक्षा लेगा और अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करेगा और जो नियुक्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पाये जायं, उनका पैनल तैयार करेगा।

(2) बोर्ड उपधारा (1) में निर्दिष्ट पैनल को धारा 10 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी को ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, अग्रसारित करेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन पैनल प्राप्त होने के पश्चात् संबद्ध अधिकारी या प्राधिकारी धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित रिक्तियों के संबंध में संस्था के प्रबन्धतंत्र को चयन किये गये अभ्यर्थियों के नाम विहित रीति से सूचित करेगा।

(4) प्रबन्धतंत्र, ऐसी सूचना की प्राप्ति के दिनांक से एक मास की अवधि के भीतर ऐसे चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति-पत्र जारी करेगा।

(5) जहां ऐसा चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति-पत्र में अनुमत समय के भीतर या ऐसे बढ़ाये गये समय के भीतर जैसा प्रबन्धतंत्र इस निमित्त स्वीकार करे, ऐसी संस्था में पद का कार्यभार ग्रहण नहीं करता है या जहां ऐसा अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अन्यथा उपलब्ध नहीं है, वहां सम्बद्ध अधिकारी या प्राधिकारी प्रबन्धतंत्र के अनुरोध पर, बोर्ड द्वारा उपधारा (2) के अधीन अग्रसारित पैनल से नया नाम या नये नाम, विहित रीति से सूचित करेगा।

नया अध्याय तीन और धारा 12 का बढ़ाया जाना

7—मूल अधिनियम की धारा 11 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय जिसमें धारा 12 दी गई है, बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"अध्याय—तीन

पदोन्नति द्वारा चयन की प्रक्रिया

पदोन्नति द्वारा चयन की प्रक्रिया

12 (1) प्रत्येक सम्भाग के लिए, अध्यापक के पद पर पदोन्नति के लिए अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए एक चयन समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

(एक) सम्भागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक	अध्यक्ष
(दो) सम्भाग में राजकीय इण्टर कालेज का ज्येष्ठतम प्राचार्य	सदस्य
(तीन) संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य सचिव।

(2) अध्यापक के पद पर पदोन्नति के लिए अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाय।

धारा 16 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 16 में, उपधारा (1) में, शब्द और अंक "धारा 18, 21-ख, 21-ग, 21-घ, 33, 33-क और 33-ख के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अध्यापकों की प्रत्येक नियुक्ति उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1995 के प्रारम्भ के दिनांक को या उसके पश्चात् प्रबन्धतंत्र द्वारा आयोग की सिफारिश पर ही की जायगी" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 12, 18, 21-ख, 21-ग, 21-घ, 33, 33-क, 33-ख, 33-ग और 33-घ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अध्यापकों की प्रत्येक नियुक्ति उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1998 के प्रारम्भ के दिनांक को या उसके पश्चात् प्रबन्धतंत्र द्वारा बोर्ड की सिफारिश पर ही की जायेगी" रख दिये जायेंगे।

धारा 18 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 18 में,—

(क) उपधारा (1) में, शब्द "आयोग" के स्थान पर शब्द "बोर्ड" रख दिया जायगा;

(ख) उपधारा (8) में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा; अर्थात् :—

(क) प्रत्येक सम्भाग के लिये सीधी भर्ती द्वारा तदर्थ नियुक्ति के अभ्यर्थियों के चयन के लिए एक चयन समिति होगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

(एक) सम्भागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक ;

(दो) सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) ;

(तीन) सम्भागीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) ;

सम्भागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक अध्यक्ष होंगे ;

नयी धारा 33-ग और 33-घ का बढ़ाया जाना

10—मूल अधिनियम की धारा 33-ख के पश्चात निम्नलिखित धाराएं बढ़ा दी जायेंगी अर्थात्:—

कतिपय नियुक्तियों का विनियमितीकरण

"33-ग (1) ऐसे किसी अध्यापक को प्रबन्धतंत्र द्वारा मौलिक नियुक्ति दी जायेगी, जो—

(क) (एक) प्रवक्ता श्रेणी या प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी में किसी मौलिक रिक्ति के प्रतिधारा 18 के अनुसार तदर्थ आधार पर 14 मई, 1991 के पश्चात् किन्तु 6 अगस्त, 1993 के पश्चात् नहीं, पदोन्नति द्वारा या सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया था :

(दो) धारा 18 के अनुसार प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक के पद में किसी मौलिक रिक्ति के प्रति तदर्थ आधार पर पदोन्नति द्वारा 31 जुलाई, 1988 को या उसके पश्चात् किन्तु 6 अगस्त, 1993 के पश्चात् नहीं, नियुक्ति किया गया था।

(ख) इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के उपबन्धों के अनुसार विहित अर्हतायें रखता हो या ऐसी अर्हताओं से छूट प्राप्त हो;

(ग) ऐसी नियुक्ति के दिनांक से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1998 के प्रारम्भ होने के दिनांक तक संस्था में निरन्तर कार्य कर रहा हो;

(घ) उपधारा (2) के अधीन गठित चयन समिति द्वारा मौलिक रूप से नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया गया हो ।

(2) (क) प्रत्येक सम्भाग के लिए एक चयन समिति होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे–

(एक) उस सम्भाग का सम्भागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, जो अध्यक्ष होगा ;

(दो) सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) जो सदस्य होगा ;

(तीन) सम्भागीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) जो सदस्य होगा :

उपर्युक्त सदस्यों के अतिरिक्त, उस जिले के विनियमितीकरण के मामलों पर विचार करते समय संबंधित जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक को सदस्य के रूप में सहयोजित किया जायेगा ।

(ख) उपधारा (2) के अधीन मौलिक नियुक्ति के लिए चयन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाय ।

(3) (क) मौलिक नियुक्ति के लिए अध्यापकों के नामों की सिफारिश उनकी नियुक्ति के दिनांक से यथा-अवधारित ज्येष्ठता-क्रम में की जायगी ।

(ख) यदि दो या अधिक ऐसे अध्यापक एक ही दिनांक को नियुक्त किये गये हों तो आयु में अपेक्षाकृत बड़े अध्यापक की सिफारिश पहले की जायगी ।

(4) उपधारा (1) के अधीन मौलिक रूप में नियुक्ति प्रत्येक अध्यापक को ऐसी मौलिक नियुक्ति के दिनांक से परवीक्षा पर समझा जायेगा ।

(5) ऐसा अध्यापक जो उपधारा (1) के अधीन उपयुक्त न पाया जाय और ऐसा अध्यापक जो उस उपधारा के अधीन मौलिक नियुक्ति पाने के लिए पात्र न हो, ऐसे दिनांक को जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, नियुक्ति पर नहीं रह जायेगा ।

(6) इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि कोई अध्यापक मौलिक नियुक्ति के लिए हकदार हो जायगा, यदि उपधारा (1) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट अध्यादेश के प्रारम्भ के दिनांक को ऐसी रिक्ति पहले से ही भरी हुई थी या ऐसी रिक्ति के लिए इस अधिनियम के अनुसार पहले से ही चयन कर लिया गया है ।

33–घ सर्टिफिकेट आफ टीचिंग ग्रेड में ऐसा प्रत्येक अध्यापक जो प्रशिक्षित स्नातक हो और,–

सर्टिफिकेट आफ, टिचिंग ग्रेड के अध्यापकों के लिए विशेष उपबन्ध

(क) जिसने एक जनवरी, 1986 को या उसके पूर्व उक्त ग्रेड में दस वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, या;

(ख) जो एक जनवरी, 1986 के पश्चात् दस वर्ष की उक्त सेवा पूरी करे ;

ऐसे अध्यापक के मामले में जिसने एक जनवरी, 1986 को या उसके पूर्व दस वर्ष की उक्त सेवा पूरी कर ली हो, एक जनवरी, 1986 से, और ऐसे अध्यापक के मामले में, जो एक जनवरी, 1986 के पश्चात् दस वर्ष की उक्त सेवा पूरी करे, दस वर्ष की उक्त सेवा पूरी होने के दिनांक से प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी में नियुक्त किया गया समझा जायगा ।

सूरज भान,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव ।

No. 729(2)/XVII-V-1—2(KA)—5/1998

Dated Lucknow, April 20, 1998

IN pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the constitution, the governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Seva Aayog (Sanshodhan) Adhyadesh, 1998 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 3 of 1998) promulgated by the Governor.

THE UTTAR PRADESH SECONDARY EDUCATION SERVICES COMMISSION (AMENDMENT) ORDINANCE NO. 3 OF 1998)—

(U. P. Ordinance no. 3 of 1998)

(Promulgated by the Governor in the Forty-ninth year of the Republic of India.)

AN

ORDINANCE

further to amend the Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission Act, 1982.

WHEREAS the State Legislature in not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:—

Short title

1. This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission (Amendment) Ordinance, 1998.

Amendment of long title of U.P. Act No. 5 of 1982

2. In the long title of the Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission Act 1982, hereinafter referred to as the principal Act, for the words "Services Commission" the words "Services Selection Board" shall be *Substituted.*

Amendment of section 1

3. In section 1 of the Principal Act, in sub-section (1), for the words "Services Commission" the words "Services Selection Board" shall be *substituted.*

General Amendment

4. In sections 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, and 34 of the principal Act, for the word "Commission" wherever occuring the word "board" shall be *Substituted.*

Amendment of section 2

5. in section 2 of the principal Act.—

(a) for clause (b), the following clauses shall be *substituted*, namely:—

"(a) 'board' means the Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board established under section 3;

(b) 'Chairman' means the chairman of the Board and includes any other person performing in the absence of the Chairman, for the time being, the functions of the Chairman."

(b) Clause (c) shall be *Omitted,*

(c) for clause (g) the following clause shall be *substituted*, Namely:—

"(g) 'Member' means a member of the Board and includes its Chairman and Vice–Chairman;"

(d) after clause (k) the following clause shall be *inserted*, namely:—

"(k–1) 'Vice–Chairman' menas the Vice–Chairman of the Board;"

Substitution of Chapter II and sections 3 to11

6. For chapter II containing sections 3 to 11 of the principal Act, the following chapter containing sections 3 to 11 shall be *substituted*, namely:—

"CHAPTER II

ESTABLISHMENT AND FUNCTIONS OF THE BOARD

Establishment of the Board

3. (1) With effect from such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf, there shall be established a Board to be called the Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board.

(2) The Board shall be a body corporate. It shall exercise powers throughout Uttar Pradesh and its headquarters shall be at Allahabad.

(3) The Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission established under section 3 of this Act as it stood immediately before the Commencement of the uttar Pradesh Secondary Education Services Commission (Amendment) Ordianance, 1998 shall upon establishment of the Board under sub Section (1), stand dissolved, and upon such dissolution,—

(a) all properties and assets of that Commission shall stand transferred to, and vest in, the Board;

(b) all debts, liabilities and obligations of that Commission whether contractual or otherwise, shall stand transferred to the board;

(c) the services of every wholetime employee of that Commission shall stand transferred to the Board;

(d) any matter pending before that commission under this Act as it stood immediately before establishedment of the Board under sub-section (1) shall stand transferred to the board.

4. (1) The Board shall consist of a Chairman, a Vice-Chairman and nine Members who shall be appointed by the State Government.

(2) A person shall not be qualified for appointment as Chairman, unless he,—

(a) is or has been a Vice-Chancellor of any University established by law in Uttar Pradesh; or

(b) is or has been, in the opinion of the State Government, an outstanding officer of the Administrative Service not below the rank of Secretary to the State Government or Director of Education, Uttar Pradesh.

(3) A person shall not be qualified for appointment as Vice–Chairman, unless he is, in the opinion of the State government, an eminent educationist having made valuable contribution in the field of education.

(4) Of the Members,—

(a) Two shall be persons, who are educationist having made significant contribution in the field of education;

(b) Two shall be persons who are or have been in the opinion of the State government, an outstanding officer of the State Education Service not below the rank of Additional Director;

(c) Others shall be persons who,—

(i) have worked as a Professor in any Universituy established by law in Uttar Pradesh, or as a Reader of any Degree College recognised by or affiliated to such University for a period of not less than ten years;

(ii) have worked as a Principal of any institution recognised under the Intermediate Education Act, 1921 for a period of not less than ten years;

(iii) are, in the opinion of the State Government, an eminent educationist having made valuable contribution in the field of education.

(5) Every appointment under this section shall take effect from the date on which it is notified by the State Government.

Term of office and conditions of service of members

5. (1) Subject to the provisions of this Act, every Member shall hold office for a term of four years.

Insertion of new chapter III and section 12

7. *After* section 11 of the principal Act, the following chapter containing section 12 shall be *inserted*, namely:—

"CHAPTER III

PROCEDURE OF SELECTION BY PROMOTION

Procedure of selection by promotion

12. (1) For each region, there shall be a Selection Committee, for making selection of candidates for promotion to the post of a teacher, comprising:—

(i) Regional Joint Director of Education;— *Chairman*

(ii) Senior most Principal of Government Inter College in the region; — *Member*

(iii) Concerned District Inspector of School.— *Member-Secretary*

(2) The procedure of selection of candidates for promotion to the post of a teacher shall be such as may be prescribed."

Amendment of section 16

8. In section 16 of the Principal Act, in sub-section (1), *for* the words and figures "sections 18, 21-B, 21-C, 21-D, 33, 33-A and 33-B, every appointment of a teacher, shall on or after the date of commencement of the Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Boards (Amendment) Act, 1995, be made by the Management only on the recommendation of the Commission", the words and figures "sections 12, 18, 21-B, 21-C, 21-D, 33, 33-A, 33-B, 33-C and 33-D, every appointment of a teacher shall, on or after the date of the commencement of the Uttar Pradesh secondaruy Education Services Commission (Amendment) Ordinance, 1998 be made by the Management only on the recommendation of the Board" shall be *Substituted.*

Amendment of section 18

9. in section 18 of the Principal Act:—

(a) in sub-section (1) *for* the word "Commission" the word "Board" shall be *substituted;*

(b) in sub-section (a), *for* clause (a) the following clause shall be *substituted*, namely:—

"(a) For each region there shall be a Selection Committee for selection of candidates for *adhoc* appointment by direct recruitment comprising—

(i) Regional Joint Director of Education;

(ii) Regional Deputy Director of Education (Secondary);

(iii) Regional Assistant Director of Education (Basic).

The Regional Joint Director of Education shall be the Chairman."

(c) in sub-section (9) *for* the word "Commission" the word "Board" shall be *substituted.*

Insertion of new sections 33-C and 33-D

10. *After* section 33-B of the Principal Act, the following sections shall be *inserted*, namely:—

"33-C(1) Any teacher who,—

Regularisation of certain more appointments

(a) (i) was appointed by promotion or by direct recruitment on or after May 14, 1991 but not later than August 6, 1993 on *adhoc* basis against substantive vacancy in accordance with section 18, in the Lecturer grade or Trained Graduate grade;

(ii) was appointed by promotion on or after July 31, 1988 but not later than August 6, 1993 on *adhoc* basis against a substantive vacancy in the post of a Principal or Headmaster in accordance with section 18;

(b) Possesses the qualifications prescribed under, or is exempted from such qualifications in accordance with the provisions of the Intermediate Education Act, 1921;

(c) has been continuously serving the Institution from the date of such appointment up to the date of the commencement of the Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission (Amendment) Ordinance, 1998;

(d) has been found suitable for appointment in a substantive capacity by a Selection Committee constituted under sub-section (2);

shall be given substantive appointment by the Management.

(2) (a) For each region, there shall be a selection Committee comprising,—

(i) Regional Joint Director of Education of that region, who shall be the Chairman;

(ii) Regional Deputy Director of Education (Secondary) who shall be member;

(iii) Regional Assistant Director of Education (Basic) who shall be member;

In addition to above members the District Inspector of Schoools of the concerned district shall be co-opted as member while considering the cases for regularisation of that district.

(b) The procedure of selection for substantive appointment under sub-section (1) shall be such as may be prescribed.

(3) (a) The names of the teachers shall be recommended for substantive appointment in order of seniority as determined from the date of their appointment.

(b) If two or more such teachers are appointed on the same date, the teacher who is elder in age shall be recommended first.

(4) Every teacher appointed in a substantive capacity under sub-section (1) shall be deemed to be on probation from the date of such substantive appointment.

(5) A teacher who is not found suitable under sub-section (1) and a teacher who is not eligible to get a substantive appointment under that sub-section shall cease to hold the appointment on such date as the State Government may by order specify.

(6) Nothing in this section shall be construed to entitle any teacher to substantive appointment, if on the date of commencement of the Ordinance referred to in clause (c) of sub-section (1) such vacancy had already been filled or selection for such vacancy has already been made in accordance with this Act.

Special Provision for Certificate of Teaching grade teachers

33–D Every teacher in the Certificate of Teaching grade, who is trained graduate and,—

(a) has completed ten years continuous satisfactory service in the said grade on or before January 1, 1986; or

(b) Completes the said service of ten years after January 1, 1986;

shall be deemed to have been appointed in the Trained Graduate Grade, with effect from January 1, 1986, in the case of teacher who has completed the said service of ten years on or before January 1, 1986, and with effect from the date of completion of the said service of ten years, in the case of a teacher, who completes, the said service of ten years after January 1, 1986."

SURAJ BHAN,
Governor,
Uttar Pradesh.

By order,
Y. R. TRIPATHI,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी०59 राजपत्र (हि०)--(74)--1998--597--कम्प्यूटर/आफसेट।